

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: ०९ दिसम्बर, 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में विपणन विकास सहायता योजना (टी0एस0पी0) में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

नहोदय,

उपर्युक्त विषय पर गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विपणन विकास सहायता योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹0 1.00 लाख (₹0 एक लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय छमाही हेतु ₹0 50,000/- (₹0 पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26.3.2010 एवं शासकीय व्यय में भित्तव्ययिता बरते जाने पर समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3- प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग सुनिश्चित कर लें कि प्रश्नगत योजना में एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के गानक व दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है ।

4- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोगना-06 विपणन विकास सहायता कार्यक्रम-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2088/दस 2010 दिनांक 23.11.2010 में प्राप्त उनकी सहनति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)

अनु सचिव

संख्या- 913 (1)/26-ब0प्र0 2010-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन अनु0-4/औद्योगिक विकास अनु0-3
- 5- गार्डफाइल/एन0आई0सी0 की प्रति ।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)

अनु सचिव ।

